International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

तिलकराज
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
Email : tilakrajpolitical@gmail.com

शोध–आलेख सार : अम्बेडकर ने उस समय निम्न वर्गों व जातियों के साथ एक परम्परागत रूप से होने वाले भेद–भाव को देखा था। क्योंकि वे स्वंय भी इस कारण से कई बार अपमानित हुए थे। यह अपमान उनको महार जाति में जन्म लेने के कारण देखना पडा। इसलिए उन्होंने भारत में तत्कालीन परिस्थितियों जो कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त थी, को बदलने के लिए अथक प्रयास किए। हालांकि वे यह चाहते थे कि भारत में दलित व उत्पीडित वर्ग स्वंय अपने प्रयत्नों से जातिवाद व ब्राह्मणवाद की इस बुराई से मुक्त हो जाए। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस मान्यता से सहमत थे कि व्यक्ति को अधिकार दान–दहेज या फिर भिक्षा से नहीं मिलते बल्कि उनकों प्राप्त करने के लिए तो समाज में व्याप्त बुराईयों, सामाजिक ढांचे तथा परम्पराओं के साथ संघर्ष करना पडता है।

मुख्य–शब्द : जातिवाद व ब्राह्मणवाद, सामाजिक ढांचा, परम्परा।

भूमिका : अम्बेडकर हिन्दू समाज की व्यवस्था में सबसे बडी समस्या शुद्रों के उद्भव की मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक 'शुद्र कौन थे' में इस चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था का आधार क्रमिक असमानता के सिद्धान्त को ही माना। वे आर्य समाज के अनुयायियों की इस मान्यता को अस्वीकार करते थे कि वेद अपने आप सनातन तथा पवित्र है। जबकि डॉ० अम्बेडकर मानना था कि उन लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वेदों के कुछ भाग को विशेषकर 'पुरूषसूक्त' को तोड मरोडकर पेश किया और इन आर्य समाजियों ने वेदों को सनातन, अजर, अमर बताकर तथा जान–बूझ कर ही एक साजिश की है। उन्होंने ऐसा करके हिन्दू समाज को अपरिवर्तनीय साबित करने की कोशिश की है।[1]

शोध–प्रविधिः इस शोध–पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्रोतों से ग्रहण की गई हैं। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्त्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई हैं।

अम्बेडकर के वर्ण व्यवस्था पर विचार

आर्य धर्म ग्रन्थ के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ऋग्वेद के दसवे मण्डल में कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पति ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की पेट से तथा शुद्र की उत्पति पैरों से हुई थी। इस प्रकार इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण सबसे उच्च स्तर पर आता है, द्वितीय स्तर में क्षत्रिय, तृतीय स्तर में वैश्य तथा निम्न स्तर पर शुद्र आता है और इस शुद्र से ही अस्पृश्य की उत्पति हुई है इस व्यवस्था ने ब्रह्मण का कार्य दान लेना, यज्ञ करना, तथा पढना–पढाना, क्षत्रिय का कार्य राज्य की सुरक्षा करना, वैश्य का कार्य कृषि व्यापार करना तथा शुद्र का कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा

[1] डॉ० रामरत्न, रूचि त्यागी 'भारतीय राजनीतिक चिन्तन' मयूर पेपर बैक्स, नोएडा–2003, पृ0 सं0 333

करना था। इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव में यह अवस्था आर्यों के लिए वरदान तथा अन्य लोगों के लिए अभिशाप सिद्ध हुई।[2]

मनुस्मृति में शुद्रों के लिए अत्यधिक कठोर विधान थे। इसमें जहां शुद्रों को प्राण दंड का भी विधान था वही ब्राह्मणों को केवल उनका मुण्डन करना ही प्राण दंड के समान माना गया था। इसमें कहा गया था कि ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी क्यों न हों उसका वध नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा उसे राज्य से निकाला जा सकता है और उसे उसका धन भी सौंप देना चाहिए। इसमें शुद्रों को संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। कोई ब्राह्मण जब चाहे उसकी संपति को छीन सकता था। यदि किसी लोभ में आकर शुद्र धन एकत्रित कर भी ले तो राजा को उसका धन छीनकर उसे देश निकाला दिया जा सकता था। इस प्रकार मनु स्मृति में चारों वर्गों के अलग–अलग कार्य बताए गए तथा ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते हुए उनकों अन्य तीन वर्णों से श्रेष्ठ माना गया है। कोई ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो व किसी समझदार व ईमानदार शुद्र से फिर भी श्रेष्ठ माना जाता था। अतः डॉ० अम्बेडकर मनु स्मृति के इस विधान का कडा विरोध करते थे।[3]

अम्बेडकर के अस्पृश्यता पर विचार

अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' 1936 में हिन्दू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात् अस्पृश्यता की प्रथा मे निहित अन्याय पर प्रकार डाला है। उन्होंनें यह अनुभव किया कि उच्च जातियों के कुछ समाज–सुधारक दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति तो रखते है परन्तु वे इस दिशा में कोई ठोस योगदान नहीं कर पाए अर्थात् उनसे समाज–सुधार में विशेषतः दलितों की दशा में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ। अतः अम्बेडकर ने फिर यह विचार रखा था कि कोई अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकता है वे अछूतों के आत्म सुधार में विश्वास रखते थे और दलितों को मांस, मदिरा, पान आदि न खानें की सलाह देते थे तथा अपनी हीन भावना से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया करते थे।

महात्मा गांधी का विचार था कि सवर्ण हिन्दुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआ–छूत को मिटाया जा सकता है लेकिन डॉ० अम्बेडकर गांधी जी के इस मत से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता की जडे हिन्दू वर्ण व्यवस्था में निहित है। अतः इस कुप्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अन्त करना आवश्यक है।[4] डॉ० अम्बेडकर अस्पृश्यता के बारे में कहते है कि यह एक ठोस असमानता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिन्दू धर्म या हिन्दू समाज के सिवाय दुनिया में कोई कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक व्यक्ति के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति का स्पर्श भी नहीं कर सकता। क्या कोई यह मान सकता है कि मानव नाम का एक ऐसा जानवर है जिसके स्पर्श मात्र से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। उससे जल प्रदूषित हो जाता है और भगवान भी पूजा के योग्य नहीं रह जाते। डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि इन अस्पृश्य लोगों की ऐसी दशा इसलिए है क्योंकि ये लगातार हिन्दू धर्म में ही जी रहे है। अतः वे कहते थे कि वे लोग जो या तो ईसाई, मुस्लिम या सिक्ख बन गए थे, उन्हें ये हिन्दू लोग न तो अछूत मानते और न ही असमान मानते।

---

[2] डॉ० बी० आर० अम्बेडकर 'हू वर दा शुद्राज' ठाकर एण्ड कम्पनी, बम्बई–1970, पृ0 सं0 44
[3] डॉ० बी० आर० अम्बेडकर 'हू वर दा शुद्राज' ठाकर एण्ड कम्पनी, बम्बई–1970, पृ0 सं0 41, 46
[4] ओमप्रकाश गाबा 'राजनीतिक चिन्तन की रूपरेखा' मयूर पेपर बैक्स, नोएडा–2003, पृं0 सं0 339.

अम्बेडकर के जातिवाद पर विचार

डॉ० अम्बेडकर समाज में जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि यह जाति व्यवस्था समाज की एकता के लिए घातक है। वे मानते थे कि व्यक्ति अपनी जाति या कुल की बजाय अपने गुणों व ज्ञान से महान बनता है। वे इस जाति–व्यवस्था को समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में भी बाधक मानते थे क्योंकि इस व्यवस्था के कारण सबसे अधिक यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वह दलित समाज के साथ हुआ है। यह व्यवस्था उनकी प्रगति में बाधक बनी जिसके कारण वे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन व आत्म–सम्मान से वंचित रहे।

डॉ० अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'हूँ वर दा शुद्राज' में शुद्रों की उत्पति के इतिहास के बारे में बताया है। उन्होंने ने इस जाति व्यवस्था को निम्न कारणों से अनुचित बताया है।

- इस जाति व्यवस्था के कारण समाज में व्यक्ति का कार्य जातीय आधार पर निर्धारित हो जाता है।
- यह व्यवस्था समाज की एकता में बाधा पहुंचाती है।
- इस व्यवस्था के कारण हमारा हिन्दू समाज विदेशी नागरिकों को समायोजित करने में असफल रहा है।
- इस व्यवस्था ने हिन्दू समाज में यथास्थिति को पैदा कर दिया है यह इसलिए क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव नहीं है।[5]

सन् 1916 मे जातीय समस्या पर डॉ० अम्बेडकर का लिखा गया निबंध वास्तव में ही जातिप्रथा के खिलाफ युद्ध का एक घोषणा–पत्र था। वे पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करते थे कि दलितों की ब्राह्मणवाद की गुलामी से मुक्ति स्वंय इन दलितों के प्रयासों से ही होगी। अतः वे सवर्ण हिन्दुओं पर इसके लिए बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वे भारत में ब्रिटिश राज को सबसे बडा शैतान नहीं मानते थे बल्कि इससे भी बडी बुराई जाति व्यवस्था को मानते थे। वे भारत की विदेशी हमलावरों के आगे बार–बार पराजय का कारण भी भारत में इस व्यवस्था से उत्पन्न पंगुता व उदासीनता को ही मानते थे।

हालांकि डॉ० अम्बेडकर का ब्राह्मणवाद से तात्पर्य एक समूह विशेष से नहीं था। बल्कि उनका अभिप्रायः था कि स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना का निषेध ही ब्राह्मणवाद है। उनका मानना था कि यह केवल ब्राह्मण जाति में ही नहीं है बल्कि यह बुराई सभी वर्गों में हैं। परन्तु इस की शुरूआत ब्राह्मणों ने ही की थी।[6]

जब मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया तो डॉ० अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी के नेता के रूप में उनसे मुलाकात की थी। परन्तु जब डॉ० अम्बेडकर ने क्रिप्स से बातचीत के दौरान अस्पृश्यों के समास्याओं तथा उनके निराकरण के लिए उनको संविधान में विशेष अधिकार देने के मांग की तो डॉ० अम्बेडकर की इस मांग पर क्रिप्स को आश्चर्य हुआ। कहा जाता है कि क्रिप्स ने उनसे पूछा कि आप तो मजदूरों के प्रतिनिधि है, आपको अछूतों की तरफ से बोलने का क्या अधिकार है? इस प्रकार जुलाई 1942 में डॉ० अम्बेडकर ने नागपुर मे आयोजित अस्पृश्य जातियों के एक सम्मेलन में 'ऑल इंडिया शैड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन' की स्थापना की घोषणा की थी। इस संगठन की स्थापना के कुछ दिन पहले ही वे वायसराय की

---

[5] डॉ० अनुपमा सक्सैना 'प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचार' ज्ञाननंदा प्रकाशन (पी0 एण्ड डी0) नई दिल्ली, 2001, पृं0 सं0 308

[6] मधु लिमये 'अम्बेडकर और गांधी दस्तावेज' न्यायचक्र अंक–9, 15 मई से 14 जुलाई 1995, पृ0 सं0 21, 23

कार्यकारी कौंसिल मे नियुक्त किए गये थे। अतः उन्होंने अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस सम्मेलन तथा इस नऐ संगठन की अध्यक्षता करने के लिए राव बहादुर एन० शिवराज का नाम प्रस्तावित किया था। जो कि मद्रास के वकील व कानून के प्राध्यापक थे। इस सम्मेलन के खुले अधिवेशन में लगभग पौने दो लाख आदमी उपस्थित हुए जोकि दलित आंदोलन के प्रसार व जागृति का प्रमाण था।[7]

इस प्रकार डॉ० अम्बेडकर ने इन निम्न वर्गों को उच्च वर्ग की दासता से छुटकारा दिलाने के लिए कई रचनात्मक सुझाव भी दिए जो कि निम्नलिखित है।

1. उन्होंने निम्न वर्गों से कहा कि वे वर्ण तथा जाति व्यवस्था को शास्त्र सम्मत न माने।
2. जाति व्यवस्था की क्रमिकता समाप्त की जानी चाहिए।
3. उन्होंनें इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया।
4. उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था पर भी ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त करके इसे सभी के लिए सुनिश्चित किया जाए।
5. सेना की भर्ती में भी क्षत्रियों के एकाधिकार को समाप्त करके योग्यता के आधार पर भर्ती की जाए।
6. सभी जातियों के व्यक्तियों को एक समान रूप से चुनाव लडने तथा अपना स्वतंत्र मत प्रदान करने का बराबर अवसर दिया जाए। ताकि सभी को समान रूप से अपनी शासन व्यवस्था में भाग लेने का बराबर अवसर प्राप्त हो सके।[8]

डॉ० अम्बेडकर के हिन्दू धर्म में सुधार पर विचार

डॉ० अम्बेडकर ने पहचान लिया था कि वर्तमान हिन्दू समाज को छुआछूत व जातिवाद ने इतना जकड रखा है कि उसे इस असमानता व अन्याय से मुक्त कराना इतना आसान कार्य नहीं है। उन्होंने भगवान बुद्ध, कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले तथा संत रविदास आदि संतो से प्रभावित होकर सामाजिक समानता व न्याय का जो बिगुल बजाया था। वह आज भी वर्तमान समय में अपनी आवाज बुलंद किए हुए है। वे राजनीतिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते थे, परन्तु उनका मानना था कि यदि उससे सामाजिक क्रांति नहीं हो पाती, समता और न्याय पर आधारित होने वाले समाज का निर्माण नहीं होता तो वह राजनीतिक सत्ता भी निरकुंश तथा निरर्थक मानी जाती है और इसी कारण से डॉ० अम्बेडकर राजनीतिक शक्ति व सामाजिक क्रांति को एक–दूसरे का पूरक बतलाते है।[9]

डॉ० अम्बेडकर के आरक्षण पर विचार

डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि जिस प्रकार से हिन्दू व मुस्लमान धर्म के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दू व दलितों में भी ऐसा कोई आपसी संबंध नहीं है। अतः जब ब्रिटिश सरकार ने सम्प्रदाय के आधार पर ही पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने इन दलितो के लिए भी कम से कम अलग निर्वाचन मंडल तो बनाना ही चाहिए। जिस प्रकार उस समय मुस्लमान व सिक्ख एक विशिष्ट वर्ग के रूप में उभरे थे ठीक इसी प्रकार डॉ० अम्बेडकर दलितों को भी एक पृथक् वर्ग के रूप में उभारना चाहते

---

7 गणेश मंत्री 'गांधी और अम्बेडकर' प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली–2011, पृ0 सं0 336

8 डॉ० रामरत्न, रूचि त्यागी 'भारतीय राजनीतिक चिन्तन' मयूर पेपर बैक्स, नोएडा–2003, पृ0 सं0 336

9 डॉ० डी०आर०जाटव 'डॉ० अम्बेडकर एक प्रखर विद्रोही' ए0 वी0 सी0 पब्लिशर्स, जयपुर–2004, पृ0 सं0 41

थे। इस मसले पर वे लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में भी खुलकर बोले और उन्होंने फिर 140 सदस्यीय बम्बई विधान परिषद् में दलितों के लिए 20 स्थान सुरक्षित भी करवा लिए थे।[10]

उस समय डॉ० अम्बेडकर ही देश में दलित वर्ग के एक मात्र ऐसे कुछ गिने चुने नेताओं में से थे। जिन्होंने 1919 के मांटेग्यू–चैम्सफॉर्ड से लेकर 1946 की कैबिनेट मिशन योजना तक संविधान निर्माण से संबधित प्रत्येक बैठक मे भाग लिया था। इस प्रकार 1919 की इन सुधारों से संबंधित मताधिकार की समस्याओं पर विचार करने हेतू फिर एक लॉर्ड साऊथब्रो की अध्यक्षता में एक मताधिकार समिति बनाई गई। जिसमें सुरेन्द्र नाथ बनर्जी व श्रीनिवास शास्त्री को सदस्य के रूप में तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू तथा मदन मोहन मालवीय जैसे उच्च स्तर के नेता गवाह के तौर पर शामिल थे। जब डॉ० अम्बेडकर को इस समिति के सामने अपना मत व्यक्त करने को कहा गया तो उन्होंने इस समिति के सामने दलित जातियों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और कुछ आरक्षित स्थान की मांग की। इसके साथ–साथ उन्होंने यह भी मांग की कि इन अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो केवल उसी वर्ग के लोगों का होना चाहिए। तब इस समिति ने डॉ० अम्बेडकर की अछूतों के लिए इस अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया। बल्कि मुस्लमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया गया।[11]

इस प्रकार डॉ० अम्बेडकर ने माना कि साऊथब्रो समिति ने अलग निर्वाचन के इस मामले में हमारे साथ बहुत गलत किया है। हालांकि इस समिति द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के दयनीय कोटे में बढोतरी की जाने की सिफारिश की थी। लेकिन उस समय ही इसका समाधान नहीं किया गया तथा यह वैसी की वैसी ही रही। फिर सन् 1923 में गठित मैडिमैन समिति ने ही इस ओर इशारा किया कि परिषदों में बहिष्कृत वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तथा इसमें फिर बढोतरी का सुझाव दिया। इसके बाद हालांकि यहां वहां करके एक सदस्य जोडा गया। परन्तु इस शिकायत का कोई पर्याप्त समाधान नहीं निकाला गया। डॉ० अम्बेडकर का कहना था कि यहां भारत में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय उतना पद दलित या असहाय नहीं है जितना की बहिष्कृत वर्ग। इस समुदाय की तकलीफे इतनी है कि वे भारत को स्वराज्य के लिए अयोग्य करार देने का कारण प्रतीत होते हैं। फिर यदि किसी समुदाय के खिलाफ इतनी ज्यादती हुई हो तो उसे निश्चित रूप से सर्वाधिक उदारता का व्यवहार मिलना ही चाहिए।[12]

इस प्रकार 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट में भी इन दलितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया तथा इस रिपोर्ट ने डॉ० अम्बेडकर के इस विशेष मताधिकार व आरक्षण को अनुचित तथा हानिकारक माना। तब डॉ० अम्बेडकर ने कहा था कि ''यह व्यवस्था उच्च वर्ण का आधिपत्य और ब्राह्मणों के शासन को सुरक्षित रखने के लिए की गई है''। 12 नवम्बर 1930 के गोलमेज सम्मेलन के पहले अधिवेशन में भी डॉ० अम्बेडकर ने सवाल किया कि ''क्या अंग्रेज सरकार ने अस्पृश्यता निर्वाण के लिए कुछ भी किया है। अस्पृश्यों के प्रति जो दुर्व्यवहार अब तक किया गया उसमें अब तक किसी प्रकार का उपचारात्मक शोध नहीं किया

---

[10] डॉ० रामरत्न, रूचि त्यागी 'भारतीय राजनीतिक चिन्तन' मयूर पेपर बैक्स, नोएडा–2003, पृ0 सं0 338

[11] डब्लयू० एन० कुबेर 'आधुनिक भारत के निर्माता डॉ० भीमराव अम्बेडकर' प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, 1981, नई दिल्ली, पृं0 सं0 30

[12] डॉ० नरेन्द्र जाधव, 'डॉ० अम्बेडकर–राजनीति, धर्म और संविधान विचार' प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2015, पृ0 सं0 54

गया है।'' उन्होंने सम्मेलन में चेतावनी दी कि यदि सही प्रकार से उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई तो वे देश के लिए किसी भी संविधान को स्वीकार नहीं करेगें।

17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेम्जे मैक्डोनल्ड ने इस साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की जिसमें दलितों को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई तथा उन्हें अलग से मताधिकार का अधिकार भी दिया गया और उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव लडने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसके साथ–साथ इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि यह व्यवस्था 20 वर्ष के बाद स्वतः ही प्रभाव हीन हो जायेगी। इस प्रकार इस निर्णय के बारे में डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि इससे अस्पृश्यों को दो लाभ प्राप्त हुए है (i). इसमें अलग मताधिकार व्यवस्था के अर्न्तगत प्राप्त सीटों का निर्धारित कोटा (ii). दोहरे मतदान का अधिकार – एक जिसका प्रयोग अलग से मताधिकार के तहत व दूसरा सामान्य मताधिकार व्यवस्था के तहत।

गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए की गई इस व्यवस्था का कडा विरोध किया तथा इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया।[13] जैसे–जैसे गांधी जी आमरण अनशन का समय निकट आता गया पूरे देश में अलग से निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर हलचल बढती गई तथा बहुत से अछूत नेता भी इस मुद्दे पर दोबारे से विचार की मांग करने लगे। जिसकी शुरूआत सुप्रसिद्ध अछूत नेता तथा डिप्रेसड क्लासिज एसोसिऐशन के अध्यक्ष एम0 सी0 राजा ने की। 23 सितम्बर को उन्होंने अपने एक वक्तव्य में ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय की कडी आलोचना की तथा सभी वर्गों से अपील की कि वे ''गरीबो और अस्पृश्यों के सबसे बडे उपकारक महात्मा गांधी'' जी के प्राण बचाने के लिए सभी एकजुट होकर प्रयत्न करें। इस मुद्दे पर केन्द्रीय विधानसभा में रखे गए 'काम रोको' प्रस्ताव पर बोलते हुए भी उन्होंने अपनी यही भावना व्यक्त की।

जब गांधी जी के उपवास के दौरान डॉ० अम्बेडकर को कुछ धमकियां मिल रही तो डॉ० अम्बेडकर ने गांधी व उनके अनुयायियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि ''अगर गांधी हिन्दू समाज के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाना चाहते है तो अस्पृश्य वर्ग भी जान देकर भी अपने हितों की रक्षा के लिए विवश हो जायगे''।[14] हालांकि डॉ० अम्बेडकर गांधी जी के अनशन की घोषणा से चिंतित होते हुए उनकी प्राण रक्षा तो चाहते थे परन्तु वे एक व्यक्ति की प्राण रक्षा के लिए समस्त दलित वर्ग के हितों की बलि नहीं चढाना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के बारें कहा कि ''महात्मा जी अमर नहीं है और न ही कांग्रेस हमेशा बने रहने का पट्टा लिखाकर लाई है। भारत में कई महात्मा हुए जिनका उद्देश्य छुआछूत को मिटाना व दलित वर्ग को ऊँचा उठाना था परन्तु कोई भी महात्मा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। महात्मा आए और चले गए, छुआछूत बरकरार रही।''

लेकिन फिर बाद में सरदार बल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय व सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से डॉ० अम्बेडकर अपनी इस पृथक् मताधिकार की मांग से पीछे हट गए और 24 सितम्बर 1932 को शनिवार सायं काल यह समझौता हो गया जिस पर मदन मोहन मालवीय व डॉ० अम्बेडकर के साथ–साथ कुछ अन्य सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए और इस प्रकार महात्मा गांधी जी के प्राण बच गए।[15]

---

[13] डॉ० बी० सिंह गहलोत, 'समकालीन राजनीतिक विचारक' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली–2005, पृ0 सं0 257.

[14] गणेश मंत्री 'गांधी और अम्बेडकर' प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली–2011, पृ0 सं0 199

[15] राम शंकर अग्निहोत्री 'नया मसीहा' प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली–2010, पृ0 सं0 180.

डॉ० अम्बेडकर के षिक्षा पर विचार

डॉ० भीमराव अम्बेडकर केवल एक समाज सुधारक ही नहीं थे बल्कि वे भारत के महत्वपूर्ण शिक्षाविदों में से भी एक थे। वे इस बात को भली–भांति जानते थे कि यथोचित् शिक्षा के अभाव में कोई भी राष्ट्र न तो अपना सहीं ढंग से विकास कर सकता और न ही आज के इस प्रतिस्पर्धा के समय में अपना गुजारा कर सकता है। उनका प्रसिद्ध नारा था ''शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करों'' जो कि उन्होंने लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से दिया था। वे शिक्षा को प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज का आधार मानते थे। इसलिए उन्होंने इसे कानूनी अधिकार में शामिल किया ताकि देश के संविधान द्वारा भी इसकी सुरक्षा की जा सकें।

डॉ० अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इसे व्यक्तिगत प्रगति व सामाजिक परिवर्तन की प्राण शक्ति के रूप में माना है। उनके मुताबिक शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों को नैतिक शिक्षा देना तथा उन्हें सामाजिक बनाना। अतः वे इस बात के पक्ष मे थे कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही उत्पीडित लोगों अन्याय व शोषण के विरूद्ध लडने के लिए प्रेरित कर सकती है। उन्होंने समाज में सवर्ण हिन्दुओं के खिलाफ 1920 में एक साप्ताहिक अखबार मूकनायक शुरू किया। इसके बाद उन्होंने दलित वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 20 जनवरी 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।[16]

इसी प्रकार 1946 में उन्होंने पीपुल्स ऐजूकेशन सोसायटी की स्थापना की तथा इसी के तत्वाधान में उन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबाद में मिलिन्द कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने दलित वर्गों के हितों व सम्मान की रक्षा के लिए युवकों का एक स्वैच्छिक संगठन 'समता सैनिक दल–1927' भी बनाया जिसका मकसद सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष करना था। इसी प्रकार डॉ० अम्बेडकर ने दलितों में राजनीतिक जागरूकता व सह–भागिता लाने के उद्देश्य से तीन राजनीतिक दल भी स्थापित किए। (i). इंडिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी 1936, (ii). ऑल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट फैडरेशन 1942 (iii). रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 ।[17]

इस प्रकार डॉ० अम्बेडकर जी का सारा जीवन भारत में सामाजिक सुधारों को समर्पित रहा। उन्होंने भारत में फैली जातिवाद व अस्पृश्यता की बिमारियों के निवारण के लिए जीवन भर कार्य किया। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष की बजाय सामाजिक पक्ष को सुदृढ करने पर जोर दिया। उनकी संविधान सभा में भूमिका तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका योगदान काफी सराहनीय रहा है। उन्होंने लोकसभा में हिन्दू कोड बिल के तहत हिन्दू समाज में सुधार के साथ–साथ भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने के लिए भी काफी प्रयास किया।

---

[16] डॉ० चितरंजन मलिक, 'आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में डॉ० अम्बेडकर की पद प्रदर्शक भूमिका' वर्ल्ड फौक्स पत्रिका, जून–2015, पृ0 सं0 18.

[17] बासुकीनाथ चौधरी, 'आज का भारत–राजनीति और समाज' ओरियन्ट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली–2013 पृ0 सं0 26.